न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–37/2017 (2017/00110) वाद पत्र

उनवान

1–छोगा पिता श्रीराम तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–महादेव जी स्थान देह ग्राम पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. सुनिल बापना – वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–22.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर की सरहद में साबिक आराजी संख्या 353 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित थी साबिक जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त आराजी के बाबत प्रतिवादी संख्या 3 के पूर्व पुजारी सोहनपुरी गोस्वामी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में वादी के पिता श्रीराम पिता भैरा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि श्रीराम पिता भैरा तेली का अंकन उक्त आराजियात मे मु0बी0क0 खडमदार की हैसियत से दर्ज है जिसको हटाया जाकर खड़मदार प्रतिवादी संख्या 3 के पुजारी सोहनपुरी के नाम पर खडमदार के रूप में अंकित की जावे, उक्त प्रकरण संख्या 5/87 रेफरेन्स में दर्ज होकर बाद कार्यवाही दिनांक 29/08/1991 को प्रतिवादी संख्या 3 के प्रतिनिधि श्री सोहनपुरी गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय न मानते हुए खारिज फरमाया गया। निर्णय की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ है। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 के पुजारी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी उक्त निर्णय के विरूद्ध नहीं की गई, इस प्रकार उक्त आराजियात पर वादी के पिता श्री राम पिता भैरा जी तेली निवासी–पालरा का नाम जो राजस्व रेकार्ड में मु०बी०के० खडमदार के रूप में अंकित था जिसको किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी गई, वादी का अपने पूर्वजों के समय से उक्त आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है जिसको 20 बीस वर्ष से भी अधिक का अर्सा व्यतीत हो चुका है। अन्य ग्रामों के साथ ग्राम पालरा तहसील रायपुर का भी नवीन बन्दोबस्त [illegible] आराजियात के हाल आराजी नम्बर 440 रकबा 0.22 हेक्टेयर डाले गये, किन्तु [illegible] पिता का नाम विलोपित कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा [illegible] तेली को एक नोटिस क्रमांक राजस्व/2017/95 दिनांक 14/[illegible] को [illegible] 23/02/2017 को तलब किया गया जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 ने [illegible] हाल आराजी नम्बर [illegible] रकबा 0.22 हेक्टेयर पर वादी का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 14/02/2016 को जारी किया जाकर पेशी दिनांक 23/02/2017 को जवाब तलब किया गया जिसका जवाब बरोज पेशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः—37 / 2017 (2017 / 00110) वाद पत्र

दिनांक 23 / 02 / 2017 को वादी ने प्रस्तुत किया जिसके साथ माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा के न्यायालय में चली रेफरेन्स की कार्यवाही में पारित निर्णय दिनांक 29 / 08 / 1991 की प्रति भी प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटिस की कार्यवाही को समाप्त नहीं की गई और वादी को हाल आराजी नम्बर 440 से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं जबकि वादी द्वारा कोई अनाधिकृत अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं किया गया। वादी के पिता श्रीराम पिता भैरा जी तेली का निधन हो गया और वर्तमान में वादी हाल आराजी नम्बर 440 पर काबिज चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 वादी को खातेदारी काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार नहीं मान रहे हैं और बेदखल करने पर भी आमादा हो रहे हैं जिससे वादी को यह वादपत्र बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादवर्णित हाल आराजी नम्बर 440 रकबा 0.22 हेक्टेयर बैरून हल्के आबादी ग्राम पालरा तहसील रायपुर में स्थित है व वादवर्णित आराजी भी ग्राम पालरा में स्थित है तथा यह वादपत्र धारा 88 व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत दिलाये जाने खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकारी की घोषणा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम पालरा की हाल आराजी 440 रकबा 0.22 है0 के खातेदार काश्तकार है, क्योकि उनके पूर्वज उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 353 के खडमदार थे। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का दखल नहीं करे, उनको वादवर्णित आराजी से बेदखल नही करें और वादी के विरूद्व अनाधिकृत अतिकमण की कार्यवाही भी संस्थित नहीं करें और वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने एवं काश्त लाभ लेने देंवे और वादी संख्या 1 के विरूद्व जारी किया नोटिस बाबत् अतिक्रमण को भी निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब के रूप में जरिये प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर के द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालरां की साबिक आराजी संख्या 353 रकबा 1 बीघा भूमि जिसके हाल नम्बर 440 रकबा 0.22 है0 कायम हुए जो वर्तमान में महादेवजी स्थान देह के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर भी वर्तमान में महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। मुर्ति महादेव शाश्वत नाबालिक है वादी को उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। वादी अतिक्रमी तथा उसका [illegible] उक्त वाद में वर्णित आराजियात में राज्य सरकार द्वारा जारी नॉटिफिकेशन से प[illegible] नाम हटाने के आदेश जारी हुए है जिसकी पालना में वादी के पूर्वज [illegible] हटे तथा [illegible] में पुजारीयो के नाम नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है [illegible] के रूप में महादेवजी स्थान देह की भूमि पर काबिज है। अतः वादी द्वारा प्रस्[illegible] वादपत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर वादी अधिवक्ता को सुना इस प्रार्थना पत्र के निर्णय को रिजर्व रखते हुए पत्रावली में आगामी कार्यवाही की गइ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम पालरा की आराजी संख्या 353 रकबा 1 बीघा जिसके हाल नम्बर 440 रकबा 0.22 है0 वादी के पिता मु.बि.क. खडमदार दर्ज थे जिसे किसी भी प्रकार से चुनौति नही दी गई इस आराजी पर वादी का उसके पिता के समय से ही आधिपत्य चला आ रहा है।
जिम्मे वादी

2. आया हाल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पिता का मु.बि.क. खडमदार का इन्द्राज बिना किसी कारण के हटा दिया गया और वादी के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू कर दी जो विधि विरूद्व है।
जिम्मे वादी

3. आया अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही में जारी किया गया आदेश दिनांक 21.08.1991 प्रतिवादी पर बाध्यकारी है एवं वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है क्योंकि खडमदार को खातेदार काश्तकार मान लिया गया है। जिम्मे वादी

4. आया वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

5. आया वादी अतिकमी है तो वाद हाजा पर क्या असर है। जिम्मे प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ?

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी को वादवर्णित भूमि का खड़मदार होना अकिंत किया गया है और वाद के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 261, आरआरडी 1985 पेज 298, आराआरटी 2013 (1) पेज 421 की नजीरे प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा मुख्य कथन किया कि आधार वर्ष की जमाबन्दी में वादी के पूर्वजो का नाम खड़मदार की हैसियत से दर्ज नही है। और बाद में जो खड़मदार का नाम अगली रोटेशन में दर्ज कर दिया गया है जो रेकार्ड के विपरीत है जिसके आधार पर वादी वादवर्णित भूमि का खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नही है। वाद खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एवं वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त को बारीकी से अध्ययन करने से पाया कि वादवर्णित भूमि साबिक सेटलमेन्ट में महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज होकर पूजारी के रूप में शंकरपुरी पिता किशनपुरी गुसाई के नाम दर्ज होकर वादी के पूर्वज भैरा पिता नानजी तेली के नाम मु.बि.क. के रूप में दर्ज रेकार्ड थी। संवत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में अनुसार वादी या वादी के पूर्वज खड़मदार नही थे। राजस्व विभाग के द्वारा चालु चौसाला जमाबन्दी के आधार पर एवं उस जमाबन्दी में स्वीकृत नामान्तकरणों का अमल होने पर स्वीकृत नामान्तकरणो से हुए रदोबदल को ध्यान में रखते हुए आगामी रोटेशन की जमाबन्दी लिखी जाती है। वादीगण द्वारा जो सवंत 2016 से 2019 की जमाबन्दी पेश की गई है उसमें खड़मदार व पुजारी लिखते हुए नवीन जमाबन्दी लिखी गई है जो पिछले रोटेशन संवत 2012 से 2015 के मुकाबले [illegible] है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड व साक्ष्य के अनुसार तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद में वर्णित तनकियात [illegible] इस प्रकार है।

1. आया ग्राम पालरा की आराजी संख्या 353 रकबा 1 बीघा जिसके हाल नम्बर 440 रकबा 0.22 है0 वादी के पिता मु.बि.क. [illegible] किसी भी प्रकार से चुनौति नही दी गई इस आराजी पर वादी का उसके पिता के समय से ही आधिपत्य चला आ रहा है।
जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार बजिम्मे वादी पर था। वादी द्वारा वादवर्णित आराजियात के सम्बन्ध में रेकार्ड प्रदर्शित किया जिसमें सूचना पत्र की प्रति पेश की जो प्रदर्श 1 है। रे0 5/87 के आवेदन की प्रति पेश की जो प्रदर्श 2 है। रे0 5/87 के निर्णय दिनांक 29.08.1991 की प्रति पेश की जो प्रदर्श 3 है। जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 की फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 है। जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 की प्रति पेश जो प्रदर्श 5 है। नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है जो प्रदर्श 6 है। धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना पत्र की कोपी पेश की जो प्रदर्श 7 है। रजिस्टर्ड डाक व प्राप्ति रसीद की प्रति पेश की जो प्रदर्श 8 से 11 है। इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में वादी द्वारा स्वयं के साथ साथ उदा पिता गोकल, नंगजीराम पिता टेका तेली, सोहन पिता गुलाब गाडरी, भवंर पिता चम्पा के बयान कराये गये। उक्त सभी के बयानो में मौके पर वादी का कब्जा होना दर्शाया गया है। वादी द्वारा जो रेकार्ड प्रदर्शित कराया गया जिसमें प्रदर्श 1 से 3 तक जो महत्वपूर्ण रेकार्ड है जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नही कर मात्र फोटो प्रतियां पेश की गई जो मूलवाद में स्वीकार योग्य नही है।

फिर भी न्यायहित में इनका अवलोकन करने से पाया कि प्रदर्श 3 जो अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय की प्रति है जिसमें महादेवजी स्थान देह के पुजारी सोहन पुरी के द्वारा श्रीराम पिता भैरा तेली के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश कर महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज भूमि आराजी संख्या 353 रकबा 1 बीघा पर विपक्षी श्रीराम पिता भैरा के नाम मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज कर दिया गया जिसका नाम हटाने के लिये पुजारी द्वारा रेकार्ड के अनुसार पक्षकार बनाते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया जो अस्वीकार किया गया है। रेफरेन्स खारीज होने से वादी इस वाद में यह प्ली लेकर आया है कि रेफरेन्स को चुनौति नही दी गई। देवमूर्ति की ओर से पूजारी या सरकार की ओर से चुनोति नही देने से वादी इस वाद में कोई दाद नही हासिल नही कर सकता है। पुजारी के द्वारा जो रेफरेन्स पेश किया गया है वो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के निर्णय के अनुसार जमाबन्दी 2012 से 2015 व संवत 2029 से 2042 की जमाबन्दी को आधार मानते हुए पेश किया गया है। आधार वर्ष की प्रथम जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 की खाता संख्या 241 जो महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी शंकरपुरी पिता किशनपुरी के रूप में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादवर्णित आराजियात मु0बि0क0 के रूप में श्रीराम पिता भैरा तेली के नाम दर्ज है इस जमाबन्दी में वादी के पूर्वजो का नाम खड़मदार के रूप में होने का कोई इन्द्राज नही है। अर्थात महादेवजी स्थान देह की भूमि का कोई भी व्यक्ति खड़मदार नही है, केवल मु0बि0क की हैसियत से दर्ज है और समस्त भूमि महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज है। भगवान मूर्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत् अवस्यक माना गया है। वादी द्वारा जो वाद में वादी को खड़मदार मानते हुए वाद पेश किया गया है जो रेकार्ड के विपरीत है। ऐसा कोई रेकार्ड/दस्तावेज वादी के द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत नही किया है जो आधार वर्ष की जमाबन्दी में वादी या उनके पूर्वज खड़मदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड हो। वादी द्वारा वाद में प्रकरण 5/87 रेफरेन्स खारीज के निर्णय की प्रति को आधार मानकर भी वाद पेश किया गया है जो उक्त नि[illegible] लाभ वादी लेने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति मे इस तनकी का नि[illegible] वादी किया जाता है।

2. आया हाल भू प्रबन्ध विभाग [illegible] के पि[illegible] मु.बि.क. खडमदार का इन्द्राज बिना किसी कारण के हटा दिया गया और वादी के [illegible] की कार्यवाही शुरू कर दी जो विधि विरूद्व है। जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था लेकिन वादी द्वारा इस प्रकरण में संवत 2012 से 2015 की जमाबन्दी पेश की गई जिसमे महोदवजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। खड़मदार होने का किसी भी आराजियात में कोई इन्द्राज नही है। राजस्व विभाग के द्वारा चौसाला जमाबन्दी के बाद आगामी रोटेशन लिखा जाता है वो पिछली जमाबन्दी एवं स्वीकृत नामान्तकरणो के अनुसार ही लिखा जाता है। वादी द्वारा जो संवत 2016 से 2019 की जमाबन्दी पेश की गई है उसमें खड़मदार व पुजारी लिखते हुए नवीन जमाबन्दी लिखी गई है जो पिछले रोटेशन के मुकाबले शुन्य है। साथ ही इस जमाबन्दी में ऐसे किसी नामान्तकरण का भी इन्द्राज नही है जिससे यह साबित होता हो कि अमुख नामान्तकरण के जरिये खड़मदार लिखा गया हो। तत्कालीन राजस्व कार्मिक द्वारा उक्त लिपीकीय त्रुटी करने से आगामी रोटेशन में भी जमाबन्दीयो में मु0बि0क0 खड़मदार के रूप में इन्द्राज कर दिया गया है जबकि वादी एवं वादी के पूर्वजो को पुजारी के द्वारा भूमि रहन रखने से मु0बि0क0 दर्ज हुआ है न कि खड़मदार।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार मु0बि0क0 की अवधि अधिकतम 5 वर्ष की होती है और भू प्रबन्ध के दौरान अगर किसी व्यक्ति का नाम मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज है तो वो अधिकतम 20 वर्ष के बाद नाम हट जाता है। उक्त प्रकरण में वादी का कोई अधिकार नही बनता है वादी अगर भूमि पर काबिज है तो भी वो एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के आधार पर देवस्थान की भूमि से पुजारियो एवं मु0बि0क0 व अन्य तरह के इन्द्राज को हटाने के आदेश हुए जिसकी पालना में मन्दिर की भूमि से इन्द्राज हटाये गये जो विधि अनुसार है। वादी का नाम विधि विरूद्व नही हटाया गया है। अतः इस तनकी को भी साबित कराने में वादी असफल रहने से इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

3. आया अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही में जारी किया गया आदेश दिनांक 21.08.1991 प्रतिवादी पर बाध्यकारी है एवं वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है क्योंकि खडमदार को खातेदार काश्तकार मान लिया गया है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 5/87 जो पुजारी के क्षरा पेश किया गया है और इस रेफरेन्स के जरिये पुजारी अपना नाम महादेवजी के नाम दर्ज कृषि भूमि में खड़मदार की हैसियत से नाम दर्ज कराना चाह रहा था किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा बाद विस्तृत अवलोकन कर प्रार्थी सोहनपुरी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 को दिनांक 29.08.1991 को अस्वीकार किया गया है। अर्थात न्यायालय द्वारा मूल पुजारी को भी खड़मदार नही मानते हुए आवेदन खारीज किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आदेश प्रतिवादी पर बाध्यकारी नही है और न वादी इस आदेश की आड़ में खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। यह तनकी 1 व 2 से भी सम्बधित है तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णय की जा चुकी है। वादी मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज था जिससे उसका नाम रेकार्ड से हटाया गया है। इस तनकी को साबित कराने में वादी असफल रहा है। जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

4. आया वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री को पाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी का नाम या इनके पूर्वजो का नाम मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में खड़मदार की हैसियत से दर्ज नही था और उसी अनुसार आधार वर्ष की जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 में भी खड़मदार दर्ज नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested

वादी खड़मदार की हैसियत से खातेदारी अधिकार होने के अधिकारी नही है विस्तृत निर्णय तनकी नम्बर 1, 2 व 3 में किया जा चुका है। तनकी नम्बर 1, 2, 3 वादी के विरूद्ध निर्णित हुई है जिसके आधार पर वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी किया जाता है।

5. आया वादी अतिक्रमी है तो वाद हाजा पर क्या असर है। जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नम्बर 1 से 4 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। स्वयं प्रतिवादी के द्वारा भी मौके पर कब्जा वादी का होना तो माना गया है किन्तु उक्त कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है। देवस्थान की भूमि पर अगर किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र 12.09.2018 के अनुसार तहसीलदार अधिकृत है ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे की राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मन्दिर मूर्ति के हितो के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। इस परिपत्र के आधार पर तहसीलदार रायपुर वादवर्णित भूमि से वादी का अतिक्रमण हटाने में सक्षम है। अतः इस तनकी को साबित कराने में प्रतिवादी सफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी किया जाता है।

6. अनुतोष ?

वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है जिन पर गहनता से विचार किया जाने पर उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है जिससे वादी प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित भूमि पर वादी या वादी के पूर्वजो का नाम मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान खड़मदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही होने से वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–37 / 2017 (2017 / 00110) वाद पत्र

उनवान

1–छोगा पिता श्रीराम तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–महादेव जी स्थान देह ग्राम पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित भूमि पर वादी या वादी के पूर्वजो का नाम मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान खड़मदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही होने से वाद अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/03/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:37 IST
Reason: SelfAttested